

S.C. 16  
04/05/15

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C. W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2015

**SATYA NARAYAN SHARMA**

..... **Petitioner.**

**Versus**

The State of Bihar & Others

.....**Respondents.**

**INDEX**

**SUBJECT: GRAM PANCHAYAT RAJ ACT.**

<b>Sl. No.</b>	<b>Annexure</b>	<b>Description</b>	<b>Page No.</b>
1.		Petition under Article 226 of the Constitution of India along with affidavit.	1-13
2.	Annexure -1	A true typed/photocopy of the nomination paper dated 12.03.2011,	14-22
3.	Annexure -2	A true typed/photocopy of the voter list of 2011.	23
4.	Annexure -3	True typed/photocopies of the Khatiyani and continuous Khatiyani.	24-28
5.	Annexure -4	A true typed/photocopy of the entire order sheet passed in Case No. 75 of 2011.	29-42
6.		Vakalatnama	

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C. W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2015

**SATYA NARAYAN SHARMA**

..... **Petitioner.**

**Versus**

The State of Bihar & Others

.....**Respondents.**

**SYNOPSIS**

1. That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble Court on the ground i.e. –
  - I. To issue a writ in the nature of certiorari for quashing of the order dated 16.03.2015 passed by the Respondent No. 7, by which the Respondent No. 7 was pleased to reject the petition filed on behalf of the petitioner under Section 136 (1) & (2) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.
  - II. To issue a writ in the nature of certiorari for quashing of the order dated 16.03.2015 passed by the Respondent No. 7, because the respondent No. 7 completely ignored the caste mentioned in the ~~caste deed~~ <sup>distinction</sup> and the caste ~~certificate~~ <sup>deed</sup> of the Respondent No. 9, resulting thereof the

claim raised by the petitioner to disqualify the Respondent No. 9 from the post of Mukhiya of Panchayat Raj - Sahpur was rejected.

III. Any other relief or reliefs.

2. Annexure -1- (12.03.2011) That the Respondent No. 9 filed his nomination paper for the post of Mukhiya of Panchayat Raj - Sahpur on 12.03.2011 which was duly accepted by the Returning Officer..
3. Annexure -2- That the name of the Respondent No. 9 was figured in the voter list of 2011 at serial No. 676.
4. Annexure -3- That the Respondent No. 9 belongs to the caste Vaisya Baniya, not of the caste Sinduriya Baniya. This fact will find support from the Khatiyani and continuous Khatiyani. From bare perusal of respective Khatiyani, it clearly transpires that the Respondent No. 9 belongs to Vaisya Baniya.

2. Annexure -4- That the said application i.e. Case No. 75  
**(16.03.2015)** of 2011 was heard by the Respondent No. 6 on 16.03.2015 and after hearing the counsel for the parties, the Respondent No. 6 was pleased to provide the benefit of doubts to the Respondent No. 9.

Hence, instant writ application.

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C. W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2015

In the matter of an application  
under Article 226 of the  
Constitution of India.

AND

In the matter of

**SATYA NARAYAN SHARMA**, S/o – Late Ganori Sharma, resident  
of village – Sahpur, Tola - Dudhaila, P.S + Block – Gwalpara,  
District - Madhepura.

.....**Petitioner.**

**Versus**

1. The State of Bihar.
2. The District Magistrate, Madhepura.
3. The District Panchayat Raj Officer, Madhepura.
4. The Sub-Divisional Officer, District – Madhepura.
5. The Executive Officer –cum- Block Development Officer,  
Block – Gwalpara, District – Madhepura.

6. The State Election Commission, represented through its Secretary, State Election Commission, Bihar, Sone Bhawan, 3<sup>rd</sup> Veer Chand Patel Path, Patna - 800001.
7. The State Election Commissioner, the State Election Commission, Bihar, Sone Bhawan, 3<sup>rd</sup> Veer Chand Patel Path, Patna - 800001.
8. The Secretary, State Election Commission, Bihar, Sone Bhawan, 3<sup>rd</sup> Veer Chand Patel Path, Patna - 800001.
9. Mithilesh Kumar Mithu, S/o - Shri Nand Lal Das, resident of village - Sahpur, Block - Gwalpara, District - Madhepura, Mukhiya of Panchayat Raj - Gwalpara, District - Madhepura.

.....**Respondents.**

To,

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

**MOST RESPECTFULLY SHWETH :**

1. That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble Court on the ground i.e. –
  - I. To issue a writ in the nature of certiorari for quashing of the order dated 16.03.2015 passed by the Respondent No. 7, by which the Respondent No. 7 was pleased to reject the petition filed on behalf of the petitioner under Section 136 (1) & (2) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.
  - II. To issue a writ in the nature of certiorari for quashing of the order dated 16.03.2015 passed by the Respondent No. 7, because the respondent No. 7 completely ignored the caste mentioned in the ~~panchayat~~ and the <sup>targeted</sup> caste certificate of the Respondent No. 9, resulting thereof the claim raised by the petitioner to disqualify the Respondent No. 9 from the post of Mukhiya of Panchayat Raj – Sahpur was rejected.
  - III. Any other relief or reliefs.

2. That the petitioner is a citizen of India and residing under the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court and as such having right to sue for protection of his statutory right.
3. That it is relevant to state here that the Respondent No. 6 issued a notification for holding the election of three tier Panchayat. Accordingly, the Respondent No. 6 issued a notification for holding the election in different phases.
4. That it is relevant to state here that the election of Panchayat Raj - Sahpur was notified. Significant to state here that the post of Mukhiya of Panchayat Raj - Sahpur was reserved for the category of M.B.C.
5. That it is relevant to state here that the Respondent No. 9 filed his nomination paper for the post of Mukhiya of Panchayat Raj - Sahpur on 12.03.2011 which was duly accepted by the Returning Officer.

A true typed/photocopy of the nomination paper dated 12.03.2011 is annexed herewith and marked as Annexure - 1.



6. That it is relevant to state here that the name of the Respondent No. 9 was figured in the voter list of 2011 at serial No. 676.

A true typed/photocopy of the voter list of 2011 is annexed herewith and marked as Annexure - 2.

7. That it is relevant to state here that the Respondent No. 9 belongs to the caste Vaisya Baniya, not of the caste Sinduriya Baniya. This fact will find support from the Khatiyan and continuous Khatiyan. From bare perusal of respective Khatiyan, it clearly transpires that the Respondent No. 9 belongs to Vaisya Baniya.

True typed/photocopies of the Khatiyan and continuous Khatiyan are annexed herewith and marked as Annexure - 3 series.

8. That it is relevant to state here that the Respondent No. 9 by obtaining a forged certificate of Sinduriya Baniya, filed his

nomination paper from the Panchayat Raj – Sahpur, Block – Gwalpara, District – Madhepura and was declared as returned candidate.

9. That it is relevant to state here that the petitioner filed an application before the Respondent No. 7 under Section 136 (1) & (2) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 for declaration of the Respondent No. 9 as disqualified. The said case was registered as Case No. 75 of 2011.
10. That it is relevant to state here that after filing of the application, the notices were issued upon the Respondent No. 9 and other Respondents. The Respondent No. 9 in paragraph 11 of the counter affidavit in Case No. 75 of 2011 stated *“that with regard to the statements made in paragraph 4 of the complain petition it is humbly stated and submitted that Opp. Party No. 1 belongs to “Siduriya Baniya” coming under Most Backward Caste – Annexure -1 and in support of his case he is annexing several survey khatiyon which is in the name of his grandfather namely Devi Das and his father namely Umeshwar Das, Nand Lal Das, Pardada and his*

*name which certified copy was issued in 1974, 2009, 1905, 1930 & 2011.*

*It is further stated and submitted that Parmangi was also issued on 22.09.1935 in which it is also stated that the O.P. No. 1 belongs to Sinduriya Baniya - Most Backward Caste - Annexure -1.*

*It is further stated and submitted from perusal of the order/judgment dated 31.07.2004 and the decree dated 24.08.2004 in Suit Case No. 5200/77 (Nand Lal Sinduriya Vrs. Anabad Sarv Sadharan) passed by Shri I. B. Dwivedi, Govt. Survey Officer, Madhavpur regarding Khata No. 869, Kheshra No. - 1819, total area - 22 decimals in favour of his father which clearly shows that O.P. No. 1 belongs to Sinduriya Baniya (M.B.C) - Annexure -1.*

*It is further stated and submitted that Opp. Party purchased some land on 25.09.2006 by Kewala in the year 2006, which also shows that O.P. No. 1 is Sinduriya Baniya not Vaisya Baniya".*

11. That it is relevant to state here that the petitioner filed the rejoinder of the counter affidavit of Respondent No. 9. It will

be evident from the perusal of the paragraph 4 of the reply to the counter affidavit, the petitioner specifically asserted "that it is significant to state here that the O.P. No. 1 relied upon the survey entry in support of his claim is forged and fabricated, so far as entry made in the column of Asami Ka Naam mentioned in column No. 2, so the complainant humbly submits that the original records of the survey entry dated 13.09.1905 be called for in order to adjudicate the lis. Furthermore, the report as communicated by the District Magistrate-cum-District Election Officer (Panchayat), Madhepura before this Tribunal is totally against the factual correctness. The District Magistrate-cum-District Election Officer (Panchayat), Madhepura unreasonably discarded the entry of Teriz Khatiyani and further dislodged the entry made in the R. S. which clearly postulates, that Devi Das, Ancestor of the O.P. No. 1 belongs to the caste Baniya. The District Magistrate-cum-District Election Officer (Panchayat), Madhepura relied upon the order passed under Section 106 of the B. T. Act. It is significant to state here that under proceeding of the B. T. Act dispute was respect to the plot No.

*2336, which is admittedly initiated against Sadanand Singh, S/o - Bholu Singh, but in the said proceeding Nandlal Sinduriya was neither necessary nor proper party. This fact will find support from the report transmitted to the applicant/complainant under R.T.I Act. In sum and substance, the documents produced and relied upon by the Opp. Party is/are forged and fabricated, hence no reliance can be placed upon the documents produced by the O.P. No. 1. The applicant/complainant undertakes that liberty may be accorded to the applicant/complainant to produce those documents at the time of hearing of the case, as the complainant/applicant are in conscious possession of all those documents, however, for brevity the photocopies of such documents are annexed herewith as Annexure - 5 series in continuance of the main petition".*

12. That it is relevant to state here that the said application i.e. Case No. 75 of 2011 was heard by the Respondent No. 6 on 16.03.2015 and after hearing the counsel for the parties, the Respondent No. 6 was pleased to provide the benefit of doubts to the Respondent No. 9 by observing "पूर्ण तथ्यों, जाँच,

और सुनवाई के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि श्री मिथिलेश कुमार मिह्र की जात वैश्य बनिया है न कि सिन्दुरिया बनिया, किन्तु संबंधित खतियान खाता संख्या - 15 का पन्ना फटा होने के कारण इसके संदेह का लाभ देते हुए प्रतिवादी को निर्हित नहीं किया जा रहा है।

A true typed/photocopy of the entire order sheet passed in Case No. 75 of 2011 is annexed herewith and marked as Annexure - 4.

13. That it is relevant to state here that the order impugned dated 16.03.2015 is bad in law as well as on facts, hence fit to be set-a-side.
14. That while passing the order, the Respondent No. 7 completely ignored and discarded the substantive material placed before him, but in complete departure of Section 136 (1) & (2) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, the Respondent No. 7, despite of arriving at the conclusion that the Respondent No. 9 was Vaisya Baniya, but even then "पूर्ण

तथ्यों, जॉच, और सुनवाई के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि श्री मिथिलेश कुमार मिट्टु की जात वैश्य बनिया है न कि सिन्दुरिया बनिया, किन्तु संबंधित खतियान खाता संख्या - 15 का पन्ना फटा होने के कारण इसके संदेह का लाभ देते हुए प्रतिवादी को निर्हित नहीं किया जा रहा है<sup>१</sup>, hence warrants interference by this Hon'ble Court.

15. That the petitioner humbly submits that other relevant documents for proper adjudication of lis, only with respect to respective entries in survey khatiyā shall be produced by way of filling of I.A.
16. That the petitioner having no alternative or efficacious remedy than to invoke the jurisdiction of this Hon'ble Court for redressal of his grievance.
17. That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court and the relief sought for in paragraph 1 of the instant writ application.

It is therefore prayed that your lordship may graciously be pleased to admit this

application, issue Rule NISI, calling upon the Respondents as to why relief sought for in paragraphs 1 & 14 of the instant writ application be not granted in favour of the petitioner.

AND

Or pass such other order or orders as your lordship may deem fit and proper.

AND

For this the petitioner shall ever pray.



## **A F F I D A V I T**

I, **Satya Narayan Sharma**, aged about 63 Years, /o - Late Ganori Sharma, resident of village - Sahpur, Tola - Dudhaila, P.S + Block - Gwalpara, District - Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am sole petitioner in this case and am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this petition have been read over by me which is understood and they are true to my knowledge and belief.
3. That the statement made in paragraphs 2, 3, 4, 16, 17 are true to my knowledge and the statements made in paragraphs 4, 5, 6, 7, 12 are derived from the records of the case and rests are by way of submissions.
4. That the annexures are true typed/photo copies of their respective originals.

Annu-1

20/19

प्रपत्र - 6  
(नियम 38 (2), 39 (1) देखिये)

01  
12.3.11  
11.46 A.M.

अनुसूची - VI  
पंचायत निर्वाचन

नाम निर्देशन-पत्र

ANNEXURE-1

14

जिला..... मधोपुरा..... प्रखंड..... बवालपाड़ा.....  
\*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... X..... से..... X..... ग्राम पंचायत के सदस्य  
\*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... X..... से..... X..... ग्राम कचहरी के पंच  
\*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... 06 (६६)..... से..... ११६५३..... ग्राम पंचायत के मुखिया  
\*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... X..... से..... X..... ग्राम कचहरी के सरपंच  
\*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... X..... से..... X..... पंचायत समिति के सदस्य  
\*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... X..... से..... X..... जिला परिषद के सदस्य  
के लिए निर्वाचन।

मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम - मित्रिलेखा कुमार मिहड़

पिता/ममता/पति का नाम - श्रीनन्दलाल दास

डाक पता - २११०५० ११६५३ प्रखंड - बवालपाड़ा जिला - मधोपुरा  
रामपुर

जो ग्राम पंचायत..... ११६५३..... के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... ०३..... की मतदाता सूची में  
क्रमांक..... ६७६..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम जीवन्त कुंठ सिंह है जो जिला मधोपुरा

प्रखंड..... बवालपाड़ा..... ग्राम पंचायत..... ११६५३..... के प्रादेशिक निर्वाचन  
क्षेत्र संख्या..... १० (६४)..... की मतदाता सूची में क्रमांक..... ११३..... पर प्रविष्ट है।

स्थान..... बवालपाड़ा

तारीख..... 12.3.11

Javan kishore

प्रस्तुत पत्र का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

\* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ और एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(क) मैंने..... ३०..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मेरा नाम तथा मेरे पिता/ममता/पति का नाम ऊपर देवनागरी लिपि में हिन्दी में सही लिखा गया है।

(ग) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अर्हित हूँ और अन्यथा अनर्हित भी नहीं हूँ।



Yamita to Ganga

Handwritten signature and date: 12/3/11

(घ) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का हूँ। सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है।

स्थान ... 29/11/11

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

तारीख ... 12/3/11

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नाम निर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक ... 01

यह नाम निर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में तारीख ... 12/3/11 ... को ... 11:40 ... (बजे) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं परिदत्त किया गया।

तारीख ... 12/3/11

सहायक निर्वाची पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी  
प्रखण्ड मन्सिरा (बिदेपुर)

नाम निर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाची पदाधिकारी का विनिश्चय।


मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 41 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

स्थान ... 29/11/11

तारीख ... 24/3/11


सहायक निर्वाची पदाधिकारी  
प्रखण्ड मन्सिरा (बिदेपुर)

निर्वाची पदाधिकारी



प्रखण्ड मन्सिरा (बिदेपुर)

Handwritten signature and date: 24/3/11



18/11

अनुसूची - II

16

094...Date...11/03/11


नियम-38

मैं मिथिलेश कुमार मिश्र पिता/पति श्री नन्दलाल दास  
उम्र 30 वर्ष जो ग्राम शाहपुर समन्तार थाना बालपाड़ा जिला  
मधेपुरा बिहार का निवासी हूँ शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र ग्राम पंचायत शाहपुर के मुखिया/ग्राम कचहरी के  
सम्बन्ध/ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच/पंचायत समिति  
के सदस्य/जिला परिषद के सदस्य  
के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ

कि मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ

कि मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136 के तहत ग्राम कचहरी के पंच/सम्बन्ध/मुखिया/सम  
पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद  
अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ।




मिथिलेश कुमार मिश्र  
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान - उदा-किशुनगंज  
दिनांक - 11/03/11

Identified by  
M. S. Chatur  
Adv  
11/03/11


NOTARY  
BINENDRA KUMAR SAHA  
UDAKISHUNGANJ  
MADHEPURA (BIHAR)

नोटरी के समक्ष शपथ लिया जायेगा।



मिथिलेश कुमार मिश्र

अंचल अधिकारी  
बालपाड़ा (मिथिलेश)



17/22

अनुसूची - III

17

नियम-39 (1) (क) (अभ्यर्थी/प्रस्तावक)

1995 Date 11/03/01  
 नाम निर्मलेश कुमार मिश्र पिता/पति श्री. नरकपाल ठाकुर  
30 वर्ष, जो ग्राम शाहपुर सिमरौर थाना बालिया जिला  
मधेपुरा बिहार का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मेरा नाम निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची में दर्ज है

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मतदाता सूची का क्रमांक
1	2	3	4	5
01	मधेपुरा	बालिया	शाहपुर	676

95-03



कि मैं सिर्फ जिला मधेपुरा प्रखंड बालिया

के ग्राम पंचायत शाहपुर के निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची, जिसमें मेरा नाम दर्ज है, के मतदाता के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने का अधिकार एवं मताधिकार का उपयोग करूँगा तथा मैं किसी अन्य पंचायत, जिसके निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची में भी मेरा नाम दर्ज है, में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी अथवा मतदाता के रूप में अपने अधिकार का उपयोग नहीं करूँगा।


निर्मलेश कुमार मिश्र  
 शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Identified by me  
 M. S. Prasad  
 Adv  
 11/03/01

स्थान - बहा-सिमरौर  
 दिनांक - 11/03/01

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/उपनिर्वाहक के समक्ष शपथ लिया जायेगा।

D/Nomination, Panchayat  
**BIRENDRA PRASAD SAHA**  
**UDAKHUNGANJ**  
**MADHUPURA (BIHAR)**




ममन साहू

Handwritten signature

अंचल अधिकारी  
 बालिया (मधेपुरा)



(15) 24



अनुसूची - IV

19

No. 1909 Date 11/03/11

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 (क) (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत में

में मिश्रिलेखा कुमारी मिश्र पिता/पति श्री नन्दप्रसाद दास  
उम्र 30 वर्ष, जो ग्राम शाहपुर, तहसील, जिला  
मधेपुरा, बिहार का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र ग्राम पंचायत शाहपुर के मुखिया/ग्राम कचहरी के  
सम्बन्ध/ग्राम-पंचायत के सदस्य/ग्राम-कचहरी के पंच /पंचायत-समिति  
के सदस्य/जिला-परिषद के सदस्य  
के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ

कि मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 (क) (1) के प्रावधानों के तहत ग्राम  
कचहरी के पंच/सम्बन्ध/मुखिया/ग्राम-पंचायत के सदस्य, पंचायत-समिति के सदस्य एवं जिला-परिषद के सदस्य के निर्वाचन  
पत्र के साथ संलग्न अनुसूची (IV) (क) में आवश्यक सूचनाओं की जानकारी दे रहा हूँ।

कि संलग्न एनेक्सर में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर- शाहपुर मिश्र  
पता - शाहपुर, तहसील - शाहपुर


निर्देशिका 173  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर  
M. S. S. S. S.  
11/03/11

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - श्री शोभा कुमारी  
पता - शाहपुर, तहसील - शाहपुर

स्थान - शाहपुर  
दिनांक - 11/03/11

• जो लागू नहीं हो उसे काट दें  
नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ लिया जायेगा।

NOTARY  
BIRENDRA PRASAD SANA  
UDAKISHUNGANJ  
MADHEPURA (BIHAR)



कार्यपालक दण्डाधिकारी  
श्री  
मधेपुरा

20

14-25

एनेक्सचर

अनुसूची - IV (क)

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 (क) (1) के अन्तर्गत पंचायत निकायों /  
ग्राम कचहरी के निर्वाचन के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के साथ दी जाने वाली सूचना का प्रपत्र

...मधेपुरा... जिला के ...मधेपुरा... जिला-सबिद/पंचायत-समिति/ग्राम-पंचायत / ग्राम कचहरी के प्रा0  
नि0 क्षे0 सं0 .०८. के सदस्य/पंच/ग्राम पंचायत मुखिया / ग्राम कचहरी के सचिव का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम - मि. प्रियेश कुमार मिश्र

पिता/प्रति का नाम - श्री मन्मथ प्रसाद दास

1. क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थ दण्ड से दंडित किये गये है -

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें :-

- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये -
- (ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या -
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति -  
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)
- (iv) दिया गया दण्ड -
- (v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो -
- (vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि -

- १२-१

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं ?

- (i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण -
- (ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया -
- (iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लम्बित है -
- (iv) यदि निष्पादित है, तो
  - (क) निष्पादन की तिथि -
  - (ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण -

- १२-१


(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया - १२-१

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि - १२-१

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं,  
यदि हाँ तो निम्न विवरण दें -

- (i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं - १२-१
- (ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या - १२-१

D:\Nomination\_Paper.pm717



Handwritten signature and notes in the bottom right corner.



-2-

- 2 क्या आपके विरुद्ध किसी मामले में संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें :- २५-११
- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है - २५-११
  - (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/ संज्ञान लिया है - २५-११
  - (iii) अपराध संख्या - २५-११
  - (iv) आरोप तैयार करने/ संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक - २५-११
  - (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/ संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/ पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण - २५-११
3. क्या आपके विरुद्ध नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व वैसे किसी मामले में आरोप लगाया गया है जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें :-
- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है -
  - (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/ संज्ञान लिया है - २५-११
  - (iii) अपराध संख्या - २५-११
  - (iv) आरोप तैयार करने/ संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक - २५-११
  - (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/ संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/ पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण - २५-११

अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/ पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है :-

(क) अचल सम्पत्ति :-

- (i) कृषि भूमि - ०५ अर्ब, अनुमानित बाजार मूल्य १० लाख रु०
- (ii) शहरी भूमि - २५-११
- (iii) भवन - पंका - अनुमानित बाजार मूल्य बास जमीन सहित १० लाख

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति :- ३.०.१. अर्ब ५०००००० - ५०१ रतन जमा

नकद, बैंक बैलेन्स, फिक्स डिपोजिट, बॉण्ड, शेयर, वाहन एवं आभूषणों का विवरण तथा उनकी वर्तमान कीमत अंकित करें।

5. अपने पति/ पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/ वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाए - ५.१.०. लोन + पत्नी + आश्रित - ६० लाख रु०
6. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज के नाम के साथ अंकित करें - आर.०.०. सी.०.०.०. सहित कॉलेज नरसिपुर
- मैं घोषणा करता हू कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य है।

स्थान - अर्ब-द्विजंगन  
तिथि - ११/०३/०११

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

NOTARY  
BIRENDRA PRASAD SAH  
UDAKISH JUNGANI  
M.A. PURA (BIF)



११/०३/०११  
11/03/011  
Signature

Signature

B

(12) 23

22




अनुसूची - IV

अभ्यर्थी का बायोडाटा

जिला - मधेपुरा प्रखंड - 2वाल्मीडा  
 पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का नाम - शाहपुर पद का नाम - मुखिया  
 पद के आरक्षण की स्थिति - आरक्षित

1. अभ्यर्थी का नाम - मिमिलेश कुमार मिश्र
2. लिंग - पुरुष / महिला
3. पिता/पति का नाम - श्री नन्दलाल दास
4. पता - प्रखंड - 2वाल्मीडा ग्राम - शाहपुर रामनगर  
थाना - 2वाल्मीडा पोस्ट - शाहपुर
5. जन्म तिथि - 01-01-1981
6. शैक्षणिक योग्यता - आई.ए.ए.
7. विवाहित/अविवाहित -
8. विवाहित होने की स्थिति में संतान/संतानों की संख्या - पुत्र - 02 पुत्री - 2
9. श्रेणी - अल्पसंख्यक  
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/अन्य)
10. पेशा - कृषि + व्यवसाय
11. वार्षिक आय - 1,00,000 = 100 (100 लाख 100)
12. किस विषय (कला/संस्कृति/समाजसेवा आदि) में रुचि रखते हैं - समाज सेवा
13. दूरभाष/मोबाईल संख्या (यदि हो) - # 900612182
14. क्या पंचायत के किसी पद पर पूर्व में निर्वाचित हुए हैं? वर्ष पद का नाम जिसपर निर्वाचित हुए  
(यदि हाँ तो भरें) हाँ 2001 -  
2006 - सरपंच



मिमिलेश कुमार मिश्र  
 अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

पृष्ठ संख्या : 1 भाग संख्या : 58 वार्ड संख्या : 3

प्रस्ताव की तिथि : 01/01/2011

मूल नामावली : 2010  
 पत्रक प्रक्रिया तथा वर्ष : 2011  
 पत्रक का स्वरूप : विशेष मंडल पुनरीक्षण, 2011  
 प्रकाशन की तिथि : 30/01/2011

ANNEXURE-2 (23)

पंचायत आम निर्वाचन नामावली, 2011 (S04) बिहार


भाग संख्या : 58 वार्ड संख्या : 3

मधेपुरा खालपाड़ा शाहपुर खालपाड़ा शाहपुर

घटक - I: परिवर्धन सूची

674 0/0/0 निर्वाचक का नाम : भुवनेश्वरी चौधरी भुमी पिता का नाम : जयकान्त मेहता गृह संख्या : 45 उम्र : 62 लिंग : पुरुष	675 0/0/0 निर्वाचक का नाम : भेंता काली चौधरी पति का नाम : भुवनेश्वरी चौधरी गृह संख्या : 45 उम्र : 50 लिंग : महिला	676 0/0/0 - <del>मरणा</del> निर्वाचक का नाम : मिथिलेश कुमार मिश्र पिता का नाम : नंदलाल राम गृह संख्या : 24 उम्र : 30 लिंग : पुरुष
677 71/163/1240 br21/1220660053 निर्वाचक का नाम : मुन्ना मुखिया पिता का नाम : रामलाल मुखिया गृह संख्या : 69 उम्र : 19 लिंग : पुरुष	678 71/163/1241 निर्वाचक का नाम : सोनी मंजूबा देवी पति का नाम : गुजेश्वर मुखिया गृह संख्या : 66 उम्र : 66 लिंग : महिला	679 71/163/1242 br21/1220660032 निर्वाचक का नाम : मबिन मुखिया पिता का नाम : किशोरी मुखिया गृह संख्या : 48 उम्र : 24 लिंग : पुरुष
680 71/163/1243 निर्वाचक का नाम : राजेश मुखिया पिता का नाम : रामेश मुखिया गृह संख्या : 44 उम्र : 24 लिंग : पुरुष	681 71/163/1244 निर्वाचक का नाम : गिरी देवी पति का नाम : राजेश मुखिया गृह संख्या : 44 उम्र : 21 लिंग : महिला	682 71/163/1245 निर्वाचक का नाम : मंजु देवी पति का नाम : गौतम मुखिया गृह संख्या : 48 उम्र : 19 लिंग : महिला
683 71/163/1246 निर्वाचक का नाम : सुरेश मुखिया पिता का नाम : मदन मुखिया गृह संख्या : 40 उम्र : 21 लिंग : पुरुष	684 71/163/1247 निर्वाचक का नाम : रेणु देवी पति का नाम : विभाव मुखिया गृह संख्या : 42 उम्र : 24 लिंग : महिला	685 71/163/1248 निर्वाचक का नाम : सुधीर मुखिया पिता का नाम : निरंजनी मुखिया गृह संख्या : 39 उम्र : 24 लिंग : पुरुष
686 71/163/1254 निर्वाचक का नाम : जयन मुखिया पिता का नाम : जननी मुखिया गृह संख्या : 126 उम्र : 23 लिंग : पुरुष	687 71/163/1261 निर्वाचक का नाम : मनीषा कुमारी पिता का नाम : मुभाय राम गृह संख्या : 78 उम्र : 18 लिंग : महिला	688 71/163/1265 निर्वाचक का नाम : सीमा देवी पति का नाम : सुतमन मुखिया गृह संख्या : 124 उम्र : 19 लिंग : महिला

परिवर्धनों की संख्या	पुरुष	महिला	कुल
	8	7	15



Handwritten signatures and official stamps, including a date stamp '01/01/2011' and a signature 'S. S. ...'.













GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
PATNA SCORE PATNA  
COURT FEE

Authorization No. 2674



STAMP DUTY  
00000  
Rs. 0000020  
375448

बिहार  
JUDICIAL  
17.3.2015  
BIHAR

9577 628086

29

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

ANNEXURE-4

प ट ना

वाद संख्या-75/2011

सत्यनारायण शर्मा  
बनाम  
मिथिलेश कुमार मिट्टु  
आदेश

03.08.2011

श्री सत्यनारायण शर्मा, पिता-स्व. गनौरी शर्मा, ग्राम पंचायत-शाहपुर, प्रखण्ड-ग्वालपारा, जिला-मधेपुरा द्वारा आयोग में परिवाद पत्र दायर कर सूचित किया गया है कि श्री मिथिलेश कुमार मिट्टु, मुखिया, ग्राम पंचायत-शाहपुर, प्रखण्ड-ग्वालपारा, जिला-मधेपुरा मूलतः वैश्य बनिया हैं, किन्तु फर्जी तरीका से "सिन्दूरिया बनिया" का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर ग्राम पंचायत-शाहपुर के मुखिया पद, जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, पर निर्वाचित हुए हैं।

अतः वादी श्री सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 136 (2) सह पठित धारा 135 एवं धारा 136 (1) के तहत मुखिया के पद पर निर्वाचन के लिए अयोग्य है।

इस मामले की सुनवाई की तिथि 11.10.2011 निर्धारित की गई।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि निर्धारित तिथि 11.10.2011 को किसी सक्षम पदाधिकारी को सभी आवश्यक कागजातों/दस्तावेजों के साथ आयोग में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त करें तथा सुनवाई की उपर्युक्त निर्धारित तिथि के पूर्व जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध करायें। सभी सम्बद्ध पक्षों को भी इसकी सूचना दे दी जाय।

केस रेकॉर्ड दिनांक 11.10.2011 को उपस्थापित किया जाय।

60721911 0271  
बिहार  
JUDICIAL  
17.3.2015  
BIHAR  
STAMP DUTY  
00000  
Rs. 0000050  
375464  
GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
PATNA SCORE PATNA  
COURT FEE  
Authorization No. 2676  
INDIA \*\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Five\*Zero\*\*\*

11.10.2011

उभयपक्ष उपस्थित हैं।

परिवादकर्ता श्री सत्यनारायण शर्मा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा पूर्व में वकालतनामा दिया गया था, जिसे स्वीकृत करते हुए अभिलेख पर रखा गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनंत कुमार एवं श्रीमती किरण कुमारी द्वारा एक वकालतनामा दिया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए अभिलेख पर रखा गया। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा छः परिशिष्टों के साथ उत्तर प्रतिवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी एक प्रति परिवादकर्ता को उपलब्ध करा दी गई। एक प्रति जिला प्रशासन को भी भेज दी जाय।

जिला प्रशासन की ओर से श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी, वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा के पत्रांक 2087/पं. दिनांक 08.10.2011 के जाँच प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हैं। इस जाँच प्रतिवेदन की प्रति उभयपक्ष को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिवादी द्वारा जो लिखित उत्तर दिया गया है, उसकी प्रति परिवादकर्ता को अभी प्राप्त हुई है, अतः वे इसका अध्ययन एवं अपनी प्रतिक्रिया देने हेतु समय की माँग करते हैं।

परिवादकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए समय स्वीकृत किया जाता है।

इसे दिनांक 12.12.2011 को रखा जाय।

12.12.2011

समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इस वाद की सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 23.02.2012 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

केस रिकॉर्ड दिनांक 23.02.2012 को उपस्थापित किया जाय।

01.02.2012

इस वाद की सुनवाई की तिथि 23.02.2012 के स्थान पर दिनांक 20.03.2012 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

06.03.2012 इस वाद की सुनवाई की दिनांक 20.03.2012 निर्धारित है, जिसे तत्काल स्थगित किया जाता है।

20.03.2012 इस वाद की सुनवाई की तिथि 19.04.2012 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

19.04.2012 उभयपक्ष उपस्थित हैं।

विद्वान जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा की ओर से उनके पत्रांक 347 सपत्र/पं. दिनांक 13.04.2012 द्वारा श्री प्रदीप कुमार झा, वरीय उप समाहर्ता प्राधिकृत हैं एवं सुनवाई के समय उपस्थित हैं।

परिवादकर्ता द्वारा प्रतिवादी के प्रति-शपथ पत्र के उत्तर में आज एक लिखित उत्तर दाखिल किया गया है, जिसकी प्रतियाँ प्रतिवादी एवं जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई गई।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें आज ये उत्तर प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसके सम्बन्ध में प्रतिक्रिया देने हेतु समय की आवश्यकता है। उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। इसे दिनांक 23.05.2012 को रखें।

23.05.2012 इस वाद की सुनवाई की तिथि 23.05.2012 निर्धारित है, जो तत्काल स्थगित की जाती है।

30.11.2012 इस वाद की सुनवाई की तिथि 09.01.2013 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

08.01.2013 इस वाद की सुनवाई की तिथि 09.01.2013 के स्थान पर दिनांक 28.01.2013 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

28.01.2013 उभयपक्ष उपस्थित हैं।

परिवादकर्ता का कहना है कि विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा से अनुरोध किया जाय कि वे शीघ्र जाँच प्रतिवेदन दे दें और साथ ही इस बिन्दु पर भी जाँच करें कि जिन खतियानों की प्रतियाँ परिवादकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं लगभग उन्हीं खतियान की प्रतियाँ प्रतिवादी द्वारा भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसलिए, जाँच के समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान रखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाय।

प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस की दो प्रतियाँ दाखिल की गई हैं एवं एक प्रति परिवादकर्ता को उपलब्ध कराई गई है। इस लिखित बहस के साथ इन्होंने एनेक्सचर—A to N भी संलग्न किए हैं। इस लिखित बहस की प्रति जिला प्रशासन को भी प्रेषित कर दी जाय, ताकि जाँच के समय प्रतिवादी द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिन्दु पर बिन्दुवार निष्पादन की कार्रवाई की जाय।

जिला प्रशासन द्वारा उनके पत्रांक 51/पं. दिनांक 27.01.2013 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि उनके स्तर से आयोग द्वारा याचित प्रतिवेदन भेजने में लगभग दो महीने समय लगने की सम्भावना है। अतः उन्होंने समय की माँग की है। उन्हें समय स्वीकृत किया जाता है।

इस वाद को दिनांक 07.05.2013 को रखें।

14.05.2013 इस वाद की सुनवाई दिनांक 07.05.2013 को निर्धारित थी, किन्तु अपरिहार्य कारणवश दिनांक 07.05.2013 को सुनवाई नहीं हो सकी।

इस वाद की सुनवाई की तिथि 24.06.2013 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

12.06.2013 इस वाद की सुनवाई की तिथि 24.06.2013 के स्थान पर दिनांक 29.07.2013 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

05.07.2013 इस वाद की सुनवाई की तिथि 29.07.2013 निर्धारित है, जो अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

15.11.2013 इस वाद की सुनवाई की तिथि 24.12.2013 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

18.12.2013 इस वाद की सुनवाई की तिथि 24.12.2013 के स्थान पर दिनांक 06.01.2014 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

06.01.2014 उभयपक्ष उपस्थित हैं।

दिनांक 28.01.2013 को पारित आदेश के अनुसार जाँच प्रतिवेदन विद्वान जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा से अब तक प्राप्त नहीं

हुआ है। दिनांक 12.02.2014 के पूर्व जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय।

इस वाद को दिनांक 12.02.2014 को सुनवाई के लिए रखा जाय।

12.02.2014

इस वाद में दिनांक 19.04.2012 को प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवादकर्ता द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र का उत्तर देने हेतु समय की माँग की गई थी एवं उसके पश्चात् दिनांक 28.01.2013 को जिला प्रशासन को प्रतिवेदन भेजना था इसकी चर्चा की गई थी और यह भी चर्चा की गई थी कि जिला प्रशासन द्वारा उनके पत्रांक 51/पं. दिनांक 27.01.2013 के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि आयोग द्वारा याचित प्रतिवेदन भेजने में लगभग दो महीने समय लगने की सम्भावना है, इसलिए दो माह का समय माँगा गया था, जिसे स्वीकृत किया गया और आज एक वर्ष से भी अधिक हो चुका है, परन्तु जिला प्रशासन की ओर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए आयोग की ओर से अंतिम स्मार दिनांक 22.01.2014 को भेजा गया था।

आज सुनवाई के समय श्री मो. खुर्शीद आलम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध किया गया कि वे जाँच प्रतिवेदन को शीघ्रता से भिजवाएँ। उन्होंने आयोग को सूचित किया कि इस वाद में सहरसा अभिलेखागार से कुछ दस्तावेज निकलवाना आवश्यक है, परन्तु सहरसा जिला से उतनी सक्रियता से सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक सत्यापित प्रति वहाँ से नहीं मिलेगी इस वाद में प्रतिवेदन भेजना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः आयोग की ओर से विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), सहरसा को भी अनुरोध किया जाय कि वे जिला प्रशासन, मधेपुरा को आवश्यक सहयोग दें और अभिलेखागार से अभिलेख खोजकर इसकी सत्यापित प्रति उन्हें उपलब्ध कराएँ, ताकि इस वाद में वे प्रतिवेदन दे सकें।

उभयपक्ष उपस्थित हैं।

इसे दिनांक 16.04.2014 को रखें।

13.03.2014

इस वाद की सुनवाई की तिथि 16.04.2014 के स्थान पर दिनांक 04.06.2014 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

15.05.2014

इस वाद की सुनवाई की तिथि 04.06.2014 निर्धारित है, जो अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है।

23.07.2014

इस वाद की सुनवाई की तिथि 06.08.2014 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

06.08.2014

उभयपक्ष उपस्थित हैं।

दिनांक 12.02.2014 को आयोग में सुनवाई के पश्चात् यह आदेश पारित किया गया था कि श्री मो. खुर्शीद आलम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा जो सुनवाई के समय उपस्थित थे, जाँच प्रतिवेदन शीघ्र भिजवाने की कार्रवाई करेंगे। उनके द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया था कि कुछ दस्तावेज सहरसा अभिलेखागार से निकलवाये जाने हैं, इसलिए विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), सहरसा को भी अनुरोध किया गया था कि वे जिला प्रशासन, मधेपुरा को आवश्यक सहयोग दें, ताकि अभिलेखागार से अभिलेख खोजकर इसकी सत्यापित प्रति जिला प्रशासन, मधेपुरा को उपलब्ध करा सकें। इसके पश्चात् न तो मधेपुरा जिला प्रशासन द्वारा कोई प्रतिवेदन भेजा गया है और न ही सहरसा जिला प्रशासन द्वारा कोई सूचना दी गई है। आज सुनवाई की तिथि निर्धारित होने पर विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा द्वारा उनके पत्रांक 455 दिनांक 06.08.2014, जो भूलवश दिनांक 6.4.14 लिखा गया है, द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि दिनांक 02.08.2014 को नेपाल देश में भारी वर्षापात एवं भूस्खलन के कारण कोसी नदी में उफान आने की सम्भावना के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया है, जिसे स्वीकार किया जा रहा है। परन्तु, साथ ही उन्हें यह भी स्मारित कराया जा रहा है कि आयोग द्वारा वांछित प्रतिवेदन आयोग को भेजने में इतना विलम्ब क्यों किया गया है। उनसे अनुरोध है कि जैसे ही उनके जिला में स्थिति सामान्य होती है बिना विलम्ब के जाँच कराकर आवश्यक जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाय।

जिला प्रशासन की ओर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आयोग द्वारा इसे उभयपक्ष को भेजा जाएगा एवं तत्पश्चात् अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाएगी।

12.11.2014

दिनांक 06.08.2014 को पारित आदेश के आलोक में आयोग के ज्ञाप संख्या-1433 दिनांक 12.08.2014 द्वारा विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा से प्रतिवेदन की माँग की गई। इसके अनुपालन में जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा द्वारा अपने पत्रांक 456 दिनांक 06.08.2014 से आयोग को खतियान की अभिप्रमाणित प्रति भेजते हुए सूचित किया गया कि जिला पदाधिकारी, सहरसा से खतियान की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त है, जिसे जिला अवर निबन्धक, मधेपुरा को खतियान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए हिन्दी में अनुवाद कर वापस करने हेतु अनुरोध किया गया था। अवर निबन्धक, मधेपुरा के पत्रांक 413 दिनांक 03.07.2014 द्वारा अभिप्रमाणित खतियान मूल में लौटाते हुए प्रतिवेदित किया गया कि कैथी भाषा की जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं है, इस वजह से हिन्दी अनुवाद नहीं किया जा सका। आयोग के पत्रांक 1576 दिनांक 03.09.2014 द्वारा राजभाषा विभाग, बिहार, पटना से खतियान का हिन्दी रूपान्तरण कर आयोग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उप निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने पत्रांक अनु.-1/2001-531/रा.दिनांक 10.09.2014 से आयोग को सूचित किया गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा), बिहार, पटना में कैथी भाषा से हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था नहीं है।

इस वाद की सुनवाई की तिथि 26.11.2014 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

26.11.2014

उभयपक्ष उपस्थित हैं।

जिला प्रशासन की ओर से श्री मो. खुर्शीद आलम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा सुनवाई के समय उपस्थित हैं।

परिवादकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी द्वारा दिनांक 28.01.2013 को दाखिल दस्तावेजों के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है। इनका कहना है कि जिस खतियान की प्रति इनके द्वारा आयोग में दाखिल की गई है, उसमें इनकी जाति वैश्य बनिया दिखाई गई है, जबकि बिल्कुल उसी प्रकार का खतियान प्रतिवादी द्वारा अपने प्रति शपथ पत्र एवं उत्तर में संलग्न किये गये हैं, जिसकी जाँच आवश्यक है।

सुनवाई के समय उपस्थित जिला पंचायत राज पदाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया कि वे इन दस्तावेजों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर अगली तिथि को एक जाँच प्रतिवेदन दाखिल करने का कष्ट करें और जाँच करते समय उभयपक्ष को सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया जाय एवं उस जाँच प्रतिवेदन की प्रतियाँ पहले ही उभयपक्ष को उपलब्ध करा दी जाएँ। और, इसी प्रकार परिवादकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो श्री नन्द लाल सिन्दुरिया के नाम से दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा लगाया गया है, उनके सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया कि उस समय तो श्री नन्द लाल का जन्म ही हुआ होगा, तो कैसे इस संदेहास्पद दस्तावेज में नन्द लाल सिन्दुरिया का जिक्र आ गया है। जिला प्रशासन के स्तर पर इस तथ्य की भी गहन जाँच की जाएगी और जाँच के निष्कर्ष अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाएँगे।

इसे दिनांक 04.02.2015 को रखें।

18.12.2014 इस वाद की सुनवाई की तिथि 04.02.2015 के स्थान पर दिनांक 09.02.2015 निर्धारित की जाती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया जाय।

09.02.2015 उभयपक्ष उपस्थित हैं।

जिला प्रशासन की ओर से श्री मो. खुर्शीद आलम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा के पत्रांक 102/पं. दिनांक 04.02.2015 द्वारा प्राधिकृत हैं एवं सुनवाई के समय उपस्थित हैं।

इस वाद में जिला प्रशासन, मधेपुरा की ओर से एक ऐसे जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जिसमें जाँच के समय उभयपक्ष को सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया गया हो। विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा द्वारा एक आदेश फलक की प्रति भेजी गई है, जो उनके अभिलेख संख्या-01/2015 से सम्बन्धित है, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 13.01.2015, 17.01.2015, 22.01.2015 एवं दिनांक 02.02.2015 एवं 04.02.2015 को की गई सुनवाई एवं आदेश पारित करने की विस्तृत जानकारी दी गई है। उनके आदेश में यह भी लिखा गया था कि 24 घंटे के भीतर यह जाँच प्रतिवेदन उभयपक्ष को उपलब्ध करा दिया जाय। आयोग आशा करता है कि यह जाँच प्रतिवेदन उन्हें उपलब्ध हो गया होगा।



आयोग के स्तर पर सुनवाई का कार्य सम्पन्न हुआ। इसे दिनांक 16.03.2015 को आदेशार्थ रखें।

16.03.2015

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अभिलेख में उपलब्ध सभी दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया।

यह वाद परिवादकर्ता श्री सत्यनारायण शर्मा, पिता-स्व. गनौरी शर्मा, ग्राम पंचायत-साहपुर, प्रखण्ड-ग्वालपारा, जिला-मधेपुरा के परिवाद पत्र के आधार पर प्रारम्भ किया गया, जिसके द्वारा उन्होंने आयोग को सूचित किया कि श्री मिथिलेश कुमार मिट्टु, मुखिया, ग्राम पंचायत-शाहपुर, प्रखण्ड-ग्वालपारा, जिला-मधेपुरा "वैश्य बनिया" जाति के हैं, किन्तु अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत "सिन्दूरिया बनिया" जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर पंचायत आम निर्वाचन, 2011 में निर्वाचित हुए हैं। परिवादकर्ता श्री सत्यनारायण शर्मा के परिवाद पत्र पर संज्ञान लेते हुए आयोग के पत्रांक 8394 दिनांक 10.08.2011 द्वारा विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा से जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने एवं सुनवाई में उपस्थित होने के लिए किसी सक्षम पदाधिकारी को प्राधिकृत करते हुए आयोग में प्रतिनियुक्त करने के लिए नोटिस निर्गत किया गया तथा उभयपक्षों को सुनवाई में उपस्थिति होने के लिए नोटिस निर्गत किया गया।

विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा द्वारा अपने पत्रांक 2087/पं. दिनांक 08.10.2011 से दिनांक 17.09.2011 को पारित अपने आदेश की प्रति समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवादी श्री मिथिलेश कुमार मिट्टु की जाति "सिन्दूरिया बनिया" बतलाई गई है। इस प्रतिवेदन के विरुद्ध परिवादकर्ता श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा दिनांक 19.04.2012 को समर्पित लिखित बयान पर प्रतिक्रिया देने हेतु आयोग के पत्रांक 2119 दिनांक 23.04.2012 द्वारा विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा से अनुरोध किया गया तथा आयोग के पत्रांक 254 दिनांक 30.01.2013 द्वारा जाँच के समय प्रतिवादी श्री मिट्टु द्वारा समर्पित लिखित बयान दिनांक 28.01.2013 में उल्लिखित तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए जाँच कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन आयोग को भेजने का अनुरोध किया गया। इसके आलोक में विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी

(पंचायत), मधेपुरा द्वारा अपने पत्रांक 102/पं.नि. दिनांक 04.02.2015 से दिनांक 04.02.2015 को पारित अपने आदेश के साथ जाँच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है:

“गत दिनांक 26.11.2014 को राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के वाद संख्या-75/2011 सत्यनारायण शर्मा बनाम मिथिलेश कुमार मिटटु में पारित आदेश की छायाप्रति जिलाधिकारी, मधेपुरा के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुई, जिसमें दिए गए निदेशानुसार दिनांक 13.01.2015 को दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर क्रमशः दिनांक 17.01.2015, 22.01.2015 एवं 02.02.2015 को इस मामले को निदेशानुसार दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए धैर्यपूर्वक सुना गया एवं विभिन्न तिथियों को उनसे प्राप्त कागजात एवं दस्तावेजों को अवलोकनोपरान्त अभिलेखबद्ध किया गया, जो अभिलेख में क्रमवार सुरक्षित है।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2014 में मुख्यतः 02 (दो) बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त कर मामले की जाँच करने का निदेश जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया है, यथा:

I. परिवादी द्वारा आयोग में दाखिल की गई खतियान की प्रति में जाति वैश्य बनियाँ दिखाई गई है, जबकि बिल्कुल उसी प्रकार का खतियान प्रतिवादी द्वारा अपने प्रति शपथ-पत्र एवं उत्तर में संलग्न की गई है, जिसकी जाँच आवश्यक है।

II. परिवादकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो नंदलाल सिनुरिया के नाम से दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा लगाया गया है उनके सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया कि उस समय, तो श्री नंदलाल का जन्म ही हुआ होगा, तो कैसे इस संदेहास्पद दस्तावेज में नंदलाल सिनुरिया का जिक्र आ गया। जिला प्रशासन के स्तर से इस तथ्य की गहन जाँच की जाएगी और जाँच के निष्कर्ष अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाएँगे।

उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दाखिल कागजात एवं प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित बयान की गहन समीक्षा एवं जाँच की गई, जिसके आधार पर निष्कर्ष स्वरूप निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आए हैं:

I. जहाँ तक वादी एवं प्रतिवादी द्वारा दाखिल खतियानों की विश्वसनीयता का

प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में दिनांक 17.01.2015 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई सुनवाई में इस बिन्दु पर पक्ष-विपक्ष के तर्कों सहित जिला अभिलेखागार, मधेपुरा के प्रधान लिपिक श्री सतेन्द्र ठाकुर से भी गवाही ली गई (आदेश फलक दिनांक 17.01.2015 द्रष्टव्य)। इस बिन्दु पर दोनों पक्षों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दोनों खतियान अलग-अलग तिथियों में जिला अभिलेखागार, मधेपुरा से निर्गत है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत खाता सं.-15 के खतियान में जाति सिनुरिया बनियाँ स्पष्ट अंकित है, परन्तु वादी द्वारा दाखिल खतियान में खाता सं.-03 एवं 15 में वैश्य बनियाँ तथा खाता सं.-983 में जाति बनियाँ दर्शाई गई है। इसी प्रकार अभिलेखागार, मधेपुरा से दिनांक 13.12.2014 को निर्गत खतियान में खाता सं.-03 में जाति वैश्य बनियाँ, खाता सं.-15 में जाति अस्पष्ट (पन्ना फटा हुआ है) एवं खाता सं.-983 में जाति बनियाँ अंकित है, जबकि ये सभी खतियान विभिन्न तारीखों में जिला अभिलेखागार, मधेपुरा से निर्गत है। अब प्रश्न यह उठता है कि जाति में भिन्नता क्यों है अर्थात् प्रतिवादी के खतियान की प्रति में सिनुरिया बनियाँ एवं वादी के खतियान की प्रति में बनियाँ/वैश्य बनियाँ क्यों दर्शाया गया है। इस बिन्दु पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा छानबीन के क्रम में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2009 तक जिला अभिलेखागार, मधेपुरा के मूल खतियान सं.-15 का सम्बन्धित पृष्ठ फटा हुआ नहीं था, जिसके आधार पर सिनुरिया बनियाँ निर्गत सं.-8432 दिनांक 17.08.2009 प्रतिवादी को प्राप्त है, लेकिन खाता सं.-03 एवं 983 के खतियानों में जाति क्रमशः वैश्य बनियाँ एवं बनियाँ अंकित है, जो विरोधाभास को उत्पन्न करता है। इनके अलावा Cedestral Survey के मूल खतियान के रैयती फर्द में प्रतिवादी के पूर्वज ढोली सिनुरिया, पिता-तैसी सिनुरिया (प्रतिवादी के परदादा) के नाम के आगे कोम सिनुरिया अंकित है, क्योंकि Cedestral Survey का खतियान Revisional Survey के खतियान की तुलना में बहुत पुराना दस्तावेज है। इसलिए उसकी विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। इस मामले में दिनांक 07.07.2011 को तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस मामले की गहन जाँच कर आदेश पारित किया जा चुका है एवं निष्कर्षतः प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना के उपरान्त उल्लेख किया गया है कि "वादी (श्री सत्यनारायण शर्मा) अपने पक्ष को सभी संशय से परे वाद को प्रमाणित करने में सफल नहीं हो पाए हैं। प्रतिवादी (श्री मिथिलेश कुमार मिट्टु) द्वारा दाखिल पक्ष/साक्ष्य/सामाजिक सम्बन्ध यह प्रमाणित करते हैं कि प्रतिवादी की जाति सिनुरिया बनियाँ है" (अभिलेख वाद सं.-01/2015 का अनुलग्नक

पृष्ठ 39 द्रष्टव्य)। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अधोहस्ताक्षरी की दृष्टि में प्रतिवादी की जाति सिनुरिया बनियाँ पर विश्वास करने का समुचित आधार बनता है।

II. जहाँ तक नंदलाल सिनुरिया के नाम से 1935 में महाराजा दरभंगा द्वारा निर्गत परवानगी/दस्तावेज की विश्वसनीयता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में दिनांक 02.02.2015 को इस बिन्दु पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई की गई तथा दोनों पक्षों को पूर्णरूपेण सुना गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ..... दिनांक 04.02.2015 को श्री नंदलाल दास की उम्र के समर्थन में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेख में अवलोकनोपरान्त संलग्न किया गया। इस चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ पुनः एक शपथ पत्र भी श्री नंदलाल दास के हस्ताक्षर से दाखिल किया गया है। चिकित्सा प्रमाण पत्र में श्री नंदलाल दास की आयु लगभग 84 वर्ष दिखाई गई है एवं शपथ पत्र में भी इसकी पुष्टि की गई है। चूँकि, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह मानते हैं कि "उस समय तो श्री नंदलाल का जन्म ही हुआ होगा।" ऐसी परिस्थिति में परवानगी/दस्तावेज की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना तब औचित्यपूर्ण होता, जब उस समय श्री नंदलाल का जन्म नहीं हुआ होता। चूँकि श्री नंदलाल दास द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न चिकित्सा प्रमाण पत्र में उनकी उम्र लगभग 84 वर्ष दर्शाई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि श्री नंदलाल दास एवं प्रतिवादी श्री मिथिलेश कुमार मिटटु द्वारा प्रस्तुत परवानगी को असत्य साबित करने का कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जा सकता है कि श्री नंदलाल दास की आयु 1935 में लगभग 04 वर्ष रही होगी एवं जन्मोपरान्त किसी के नाम से दस्तावेज उनके अभिभावक यदि बनवाते हैं, तो इस पर आपत्ति का कोई वैद्य आधार बनता है या नहीं, यह एक कानूनी प्रश्न है। इस सम्बन्ध में विधि विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

चूँकि वाद सं.-75/2011 में मूल प्रश्न श्री मिथिलेश कुमार मिटटु की जाति सिनुरिया बनियाँ से सम्बन्धित है, जिसे असत्य करने में वादी पक्ष सफल नहीं हुए।"

इस प्रकार विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा द्वारा प्रतिवादी श्री मिथिलेश कुमार मिटटु की जाति "सिन्दूरिया बनियाँ" विनिश्चय की गई है। प्रतिवादी श्री मिटटु द्वारा दिनांक 19.02.2015 को लिखित बयान

समर्पित किया गया है, जिसके साथ आयोग द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना की प्रति संलग्न की है, जिसमें आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था कि करीब 1905 से 1917 के बीच राज्य में सम्पन्न सर्वे (जिसे कैंडेस्ट्रल सर्वे या अन्य नामों से जाना जाता है) के राजस्व अभिलेख इत्यादि ज्यादा प्रमाणिक दस्तावेज माने जा सकते हैं। इसी आधार पर कैंडेस्ट्रल सर्वे के अनुसार प्रतिवादी द्वारा अपनी जाति "सिन्दूरिया बनिया" बतलाई गई है, जबकि वादी श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा दाखिल खाता सं.-03 एवं 15 में वैश्य बनिया दर्शायी गई है। विद्वान जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), मधेपुरा द्वारा दिनांक 04.02.2015 को पारित अपने आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि अभिलेखागार, मधेपुरा से दिनांक 13.12.2014 को निर्गत खतियान में खाता सं.-03 में जाति वैश्य बनिया, खाता सं.-15 में जाति अस्पष्ट (पन्ना फटा हुआ है) एवं खाता सं.-983 में जाति बनिया अंकित है, जबकि ये सभी खतियान विभिन्न तारीखों में जिला अभिलेखागार, मधेपुरा से निर्गत है। प्रतिवादी श्री मिथिलेश कुमार मिटटु द्वारा समर्पित खतियान की प्रति में सिनुरिया बनिया एवं वादी श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा समर्पित खतियान की प्रति में बनिया/वैश्य बनिया क्यों दर्शाया गया है। इस बिन्दु पर जिला प्रशासन का निष्कर्ष है कि वर्ष 2009 तक जिला अभिलेखागार, मधेपुरा के मूल खतियान खाता सं.-15 का सम्बन्धित पृष्ठ फटा हुआ नहीं था, जिसके आधार पर सिनुरिया बनिया निर्गत सं.-8432 दिनांक 17.08.2009 प्रतिवादी श्री मिटटु को प्राप्त था। आयोग प्रतिवादी श्री मिटटु की जाति "वैश्य बनिया" न कि "सिनुरिया बनिया" मान रहा है, जिसके दस्तावेजी ठोस आधार हैं। जिला प्रशासन ने बहुत गम्भीरता से इस तथ्य और जाँच के इस पक्ष की गहन छानबीन और जाँच नहीं की है, बल्कि प्रतिवादी के सन्देहास्पद Claim (दावा) को ही छद्म साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार कर लिया गया है। खतियान सं.-15 का पन्ना फटा होने के कारण प्रतिवादी की जाति का विनिश्चयन आयोग के स्तर पर सम्भव होना सन्देह की परिधि में आ जाएगा, जबकि आयोग यह मान रहा है कि प्रतिवादी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर निर्वाचन में भाग लिया है। लेकिन मात्र एक कागज़ का कोना फटा होने से, जो प्रतिवादी की ही मिलीभगत से हुआ होगा, संदेह का लाभ देते हुए प्रतिवादी श्री मिटटु को निरर्हित नहीं किया जा रहा है।

पूर्ण तथ्यों, जाँच, और सुनवाई के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि

42

श्री मिथिलेश कुमार मिट्टु की जाति वैश्य बनिया है न कि सिन्दूरिया बनिया, किन्तु सम्बन्धित खतियान खाता सं.-15 का पन्ना फटा होने के कारण इसके संदेह का लाभ देते हुए प्रतिवादी को निरर्हित नहीं किया जा रहा है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी सम्बन्धित को सूचित करें।

मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित

ह0/-

(एच. सी. सिरोही)

16.03.2015

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/-

(एच. सी. सिरोही)

16.03.2015

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

मिलान किया  
एनके  
31.3.2015

संपापित  
31/3/15  
Section Officer  
State Election Commission  
Bihar, Patna

31.3.2015